भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1854
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

अमृतसर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थपना के लिए विशेष अनुदान

†1854. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अमृतसर के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग सीमित स्त्रोतों के साथ लगभग पूर्णतया कृषि पर निर्भर हैं और औद्योगिक अवसरों की कमी के कारण युवा पीढ़ी की खेती में रूचि कम होती जा रही है और और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार कृषि-औद्योगिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड चेन और मूल्य-संवर्द्धन अवसंरचना की स्थापना हेतु विशेष अनुदान या पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त क्षेत्र से प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए अमृतसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कार्गो टर्मिनल को एकीकृत किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार पीएमएफएमई, मेगा फूड पार्क जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अमृतसर को प्राथमिकता देने या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना देने के लिए सीमा-विशिष्ट निर्यात क्लस्टर शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के लिए अवसरों का सृजन करने का विचार है क्योंकि उनके लिए करियर के स्त्रोत बहुत कम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): कृषि आधारित उद्योगों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इसे सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना भी कार्यान्वित की जा रही है । ये तीनों योजनाएँ पंजाब के अमृतसर जिले सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं और इस प्रकार कृषि से ईतर रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि हो रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, पंजाब के अमृतसर जिले में 51.63 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली तीन खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है और 12.17 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है ।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पंजाब के अमृतसर जिले में 2.24 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी के साथ 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी है ।

(ग): प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कार्गो टर्मिनल (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स) से किया जा रहा है । अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कार्गो टर्मिनल (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स) से निर्यात किए गए खाद्य उत्पादों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पंजाब के अमृतसर जिले सहित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन/स्थापना हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएफएमई योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मेगा फूड पार्क योजना को दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और समावेशी विकास में योगदान मिलेगा।

*****

अनुबंध

दिनांक 31 जुलाई , 2025 को उत्तर हेतु "अमृतसर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष अनुदान" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1854 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अमृतसर(एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स) से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

उत्पाद	**मूल्य अमेरिकी डालर में**			**मात्रा किलोग्राम में**		
	2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
प्रसंस्कृत सब्जियां	2,90,995	10,40,923	5,24,406	2,740	8,072	7,140
ताजे आम	2,25,050	0	3,30,341	69,953	0	1,40,913
अन्य ताज़ी सब्जियाँ	5,76,344	1,13,462	1,50,263	2,03,335	74,008	81,687
विविध तैयारियाँ	0	20,620	34,529	0	1,945	7,225
हर्बल और औषधीय पौधे	0	0	27,388	0	0	2,875
बासमती चावल	611	52	9,993	550	40	8,000
अन्य ताजे फल	49	136	9,927	51	150	8,893
फल और सब्जियों के बीज	0	0	2,442	0	0	150
अनाज तैयार करना	0	0	160	0	0	36
दालें	0	306	0	0	525	0
डेयरी उत्पादों	0	375	0	0	140	0
गुड़ और मिष्टान्न	856	3,525	0	414	604	0
अन्य (पान के पत्ते और मेवे)	0	14,192	0	0	4,600	0
कुल	**10,93,905**	**11,93,591**	**10,89,449**	**2,77,043**	**90,084**	**2,56,919**

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय

*****